



उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 24 माघ, शक संवत्, 1940


( दिनांक : 13 फरवरी, 2019 )

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2018 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खण्ड-1 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनार्यें, यदि कोई हों।
7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में श्मशान घाट की चार दीवारी निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह ग्राम एवं पो0-सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम रुहालकी में भूमिया खेडे का सौन्दर्यीकरण और सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सतपाल पुत्र श्री सोम, ग्राम-रुहालकी, पो0-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम तेज्जुपुर में रविदास मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री विजयपाल पुत्र श्री गंगाराम, ग्राम-तेज्जुपुर, पो0-चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र टिहरी के कोटी कालोनी स्थित ईको पार्क का लम्बे समय से संचालन न होने के सम्बन्ध में" श्री अमित मिश्रा, ग्राम व पो0 कोटी कालोनी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत भैतोगी खाला बागी भागीरथीपुरम का ट्रीटमेन्ट न कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री गम्भीर सिंह तोपवाल, ग्राम बांगी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम सभा ल्वाड-डोबा में तिगोनिया से बनोलिया, लदवानी, ल्वाड-डोबा पेयजल लाईन जीर्ण-क्षीर्ण होने के सम्बन्ध में” श्री प्रदीप मटियाली पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम ल्वाड-डोबा, पो0 हरीशताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा पिनरो के छोट कैलाश पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में” श्री मनोहर पलेडिया पुत्र श्री नन्दराम पलेडिया, ग्राम पिनरो, पो0 बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा बानना के तोक वासा में प्रा0 वि0 वासा के भवन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में” श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री धरमानन्द, ग्राम व पो0 बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
16. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
17. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
18. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।  
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)
19. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
20. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
21. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।
22. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। (30 मिनट)
23. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पारित किया जाय।
24. श्री विनोद कण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-  
“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”  
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “घ”)
25. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :  
दिनांक : 12 फरवरी, 2019

आज्ञा से,  
  
(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।



प्रथम सत्र, 2019  
का प्रथम बुधवार

## उत्तराखण्ड विधान सभा

### की कार्यसूची

बुधवार,

माघ 24, शक संवत्, 1940

( दिनांक : 13 फरवरी 2019 )

नत्थी 'क'

अल्पसूचित

श्री कुंवर प्रणव सिंह  
चैम्पियन  
29.01.2019

\*\* क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के खादर क्षेत्र में गन्ने की दो स्वीकृत प्रजातियों क्रमशः (1) अगेती प्रजाति एवं (2) सामान्य प्रजाति के अलावा तीसरी प्रजाति अनुपयुक्त प्रजाति का गन्ना भौगोलिक सीमितताओं के कारण उगाया जाता है लेकिन सरकार द्वारा उक्त प्रजाति का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है जिस कारणवश खादर के किसानों को वह गन्ने की फसल मजबूरी में बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ रही है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उक्त प्रजाति का मूल्य दो माह पूर्व तय कर दिया गया है? क्या राज्य सरकार लोकहित में खादर क्षेत्र के किसानों को नुकसान और शोषण से बचाने हेतु अविलम्ब अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ना मूल्य की घोषणा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना

श्री देशराज कर्णवाल  
01.02.2019

\*\* क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि पूरे राज्य में गन्ना किसान गन्ना मूल्य भुगतान न होने के कारण आन्दोलन करने के लिए विवश रहते हैं इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए जिससे कि प्रतिवर्ष उनका भुगतान सुनिश्चित हो सके, के लिए क्या सरकार उत्तराखण्ड के किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कोष बनाने की एक बहुउद्देशीय योजना का स्वरूप सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल  
28.12.2018

\*1 क्या कौशल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रोजगार सृजन एवं कौशल विकास विभाग बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कौशल विकास

श्री देशराज कर्णवाल  
31.12.2018

\*2 क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खोले गये कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं तथा इन्हें किन-किन संस्थानों को आवंटित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हो रहे हैं तथा इनमें क्या कोई गडबड़ी पायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों/केन्द्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

कौशल विकास

श्री देशराज कर्णवाल  
02.01.2019

\*3. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों के पर्यावरण मानकों की समय-समय पर जाँच हेतु सरकार की कार्य नीति है अथवा नहीं? यदि हाँ तो हरिद्वार की कितनी फैक्ट्रियों में जाँच की गई है तथा उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

पर्यावरण

श्री नवीन चन्द्र दुम्का  
03.01.2019

प्रथम मंगलवार के तारांकित 19 में स्थानान्तरित।

\*4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनु0 जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 2007) की धारा 6 की उपधारा-3 के अर्न्तगत जिलास्तरीय, उपखण्ड स्तरीय समिति बनाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या जनपद नैनीताल में भी कोई समिति गठित है? यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड गठन के बाद जनपद नैनीताल में समिति ने कोई कार्य किया है?

वन

श्री खजानदास  
08.01.2019

\*5 क्या सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश में कुल कितने सेवायोजन कार्यालय हैं तथा राज्य निर्माण के गठन से अब तक कुल कितने बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मिला है तथा जिलेवार बेराजगारों की कुल कितनी संख्या है? क्या सरकार प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किये जाने हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सेवायोजन

श्री खजानदास  
09.01.2019

\*6 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि प्रदेश में ए0डी0बी0 के द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित सीवर लाईनें एवं पेयजल योजनायें सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में योजनायें सुचारू रूप से कार्य कर रही है एवं किन-किन शहरों में अब तक भी योजनायें जल संस्थान को स्थानान्तरित नहीं हो पाई है? क्या सरकार अपूर्ण एवं अधूरी योजनायें समय अवधि में पूर्ण न होने एवं गुणवत्ता विहीन योजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री खजानदास  
09.01.2019

एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।

\*7 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है? क्या सरकार द्वारा भूकम्प से होने वाली जनहानि को रोकने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों/ शहरों में गिरासू भवनों का चिन्हीकरण किया जा चुका है? क्या सरकार द्वारा गिरासू भवनों का रखरखाव/पुर्ननिर्माण एवं भूकम्प आने पर कम से कम जनधन की हानि हो, इस हेतु कोई ठोस नीति बनाई जा रही है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
10.01.2019

\*8 क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत किन-किन औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके मृतक आश्रितों को वर्ष 2016-17 में न्यूनतम वेतन, क्षतिपूर्ति एवं ग्रेच्युटी आदि की कुल कितनी धनराशि का भुगतान विभाग के द्वारा किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि उत्तराखण्ड में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
14.01.2019

\*9. क्या वन मंत्री अवगत है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों जैसे बन्दर, सुअर आदि का अत्याधिक प्रकोप होने के कारण स्थानीय कृषकों की फसल नष्ट कर हो जाती है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों ने कृषि करना छोड़ दिया है, जिससे उनका जीविकोपार्जन करना भी बहुत कठिन हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे कृषकों के लिए कोई योजना बना रही है, जिससे कृषकों की फसल नष्ट होने पर उनको उसका लाभ मिल सके? क्या सरकार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गयी फसल को मुआवजों का भुगतान करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
14.01.2019

\*10. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं तथा उसके सापेक्ष कुल कितने पंजीकृत बरोजगारों को रोजगार दिया गया है?क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सभी पंजीकृत बरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां तो तद्संबंधी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

सेवायोजन

श्री गणेश जोशी  
14.01.2019

मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

\*11. क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून में कई स्थानों में आवास विकास कालोनी के अर्न्तगत होटल संचालित किये जा रहे हैं? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे होटल किसी प्राधिकरण अथवा सक्षम स्तर से अनुमति के बाद खोले गये हैं? यदि हां, तो सरकार जनपद देहरादून के ऐसे होटलों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे होटलों को सीज करने अथवा ध्वस्त करने पर विचार करेगी?

आवास

श्री मनोज रावत  
14.01.2019

\*12. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार की श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएँ हैं? इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु योजनावार कितना धन विभिन्न मदों में रखा गया है? आतिथि जिले वार कितने श्रमिक, इन योजनाओं हेतु पंजीकृत किए गए हैं तथा सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु इन विभिन्न योजनाओं में गत दो वर्षों में अलग-अलग कितना-कितना धन आवंटित किया गया है?

श्रम

श्री प्रीतम सिंह पवार  
16.01.2019

आगामी सत्र हेतु स्थगित

\*13 क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जो उपग्राम, बस्तियां, राजस्व ग्राम तथा ग्राम पंचायते, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में शामिल की गई है, ऐसे गांवों में विकास योजनाओं के कियान्वयन के लिए कोई अतिरिक्त बजट अथवा राजकीय अनुदान सरकार द्वारा विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत कर जारी किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले बजट से यह क्षेत्र वंचित हो गये है और नगर निकायों द्वारा भी विकास कार्य ऐसे ग्रामों/क्षेत्रों में नहीं कराये जा रहे हैं? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाओं का कार्यक्रम संचालित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार 16.01.2019	*14 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भूभाग वनाच्छादित है और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीणों के द्वारा दशको पूर्व से वन भूमि पर खेतीबाड़ी, उद्यान तथा आवास / गौशालायें बनायी गई है? गरीब तथा भूमिहीन काश्तकारों के द्वारा अपनी आजीविका लम्बे काल से ऐसी भूमि पर काबिज होकर चलायी जा रही है? क्या सरकार ऐसे गरीब तथा भूमिहीन काश्तकारों से नजराना लेकर उन्हें वह भूमि उनके नाम दर्ज करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण 16.01.2019	*15 क्या वन मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किया गया था कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीधे कूड़ा एवं सीवरेज डालने वाले होटलों, धर्मशालाओं व आश्रमों से प्रतिदिन रुपये 5000 की दर से जुर्माना वसूला जाये? यदि हां, तो अब तक कितने संस्थानों से कुल कितनी राशि का जुर्माना वसूला गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण 17.01.2019	*16 क्या वन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में वन पंचायतें वित्तीय संसाधनों का अभाव झेल रही हैं इन वन पंचायतों को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु राज्य सरकार और जायका (जापान इन्टरनेशनल को-आपरेटिव) मार्च, 2022 तक एक परियोजना संचालित करेंगे? यदि हां, तो यह परियोजना यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र की कितनी वन पंचायतों में संचालित की जायेगी? इन वन पंचायतों में किस प्रकार के रोजगारपरक कार्यक्रम चलाये जायेंगे? जिन-जिन पंचायतों को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, उनके लिये सरकार की क्या योजना है?	वन
श्री मनोज रावत 18.01.2019	*17 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के वन विभाग ने बंदरों, सुअरों और अन्य जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा करने हेतु कोई उपाय किए हैं? क्या राज्य के वन विभाग ने खेती को नुकसान करने वाले जानवरों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए देश और राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों को वैज्ञानिक उपाय करने हेतु सम्पर्क किया है? यदि हां, तो जंगली जानवरों की जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार के पास कोई वैज्ञानिक उपाय है? यदि नहीं तो राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास करेंगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 23.01.2019	*18 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शीशमबाड़ा में ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निर्माण किया गया है? ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण से पूर्व में क्षेत्रवासियों को ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निस्तारण के समय दुर्गन्ध आने से क्षेत्र में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होने व नदी का पानी दूषित होने, पर्यावरण को भी नुकसान होने का अंदेशा था? पूर्व में क्षेत्रवासियों के विरोध के बावजूद भी ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निर्माण कर दिया गया? वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होने एवं कूड़े से निकलने वाली दुर्गन्ध से ट्रेचिंग ग्राउण्ड के चारों ओर लगभग 8-10 कि०मी० के दायरे में दुर्गन्ध से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं?	

क्षेत्रवासियों द्वारा संबंधित कूड़ा निस्तारण कम्पनी व संबंधित विभाग को मौखिक व लिखित व आन्दोलन के रूप में वायु के साथ फैलने वाली दुर्गन्ध के निस्तारण हेतु कई बार अवगत कराया गया लेकिन आतिथि तक भी ट्रेचिंग ग्राउण्ड से निकलने वाली दुर्गन्ध का कोई उपाय नहीं किया गया और टेंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण मानकों की अनदेखी कर किया गया है? क्या निर्माण में मानकों की अनदेखी व उससे निकलने वाली दुर्गन्ध व अन्य समस्याओं से निजात दिलाये जाने हेतु ट्रेचिंग ग्राउण्ड को अन्य किसी स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धन सिंह नेगी  
25.01.2019

\*19. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में वन विभाग द्वारा लीसा डिपो व वन विभाग की चौकियों तक सड़को से आवागमन किया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी जनपद में वन विभाग की ऐसी कितनी सड़के हैं? क्या यह भी सत्य है कि इन सड़कों से वन भूमि से होकर ग्रामीण भी आवागमन करते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन सड़कों की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है? क्या इनसे परिवहन विभाग द्वारा आवागमन के योग्य होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

#### अतारंकित प्रश्न

श्री मनोज रावत  
28.12.2018

1. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है? क्या पर्वतीय जिलों में भी इन विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो इन जिला स्तरीय प्राधिकरणों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण आवेदक को क्या सुविधा प्रदान की जाती है?

आवास

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
28.12.2018

2. वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'इको टूरिज्म' के विकास के लिए क्या नीति निर्धारित की गयी है? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राज्य में 'इको टूरिज्म' डेवलपमेंट बोर्ड अथवा ऐसी संस्था की संरचना का विचार करेगी जिसमें सुदूर पर्वतीय अंचलो में भी 'इको टूरिज्म' की गतिविधिया संचालित की जा सके जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके? और पलायन पर रोक लगायी जा सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
28.12.2018

3. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संविदा अथवा अन्य स्रोतों से कार्य कर रहे कार्मिको को श्रम कानूनों के अनुसार विभिन्न प्रकार के लाभ जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा लाभ प्रदान किया जा रहा है? जो

श्रम



विभाग इन श्रम कानूनो का उल्लंघन कर रहे है, उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि श्रमिकों के हित सुरक्षित रह सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 83 में स्थानान्तरित ।

श्री देशराज कर्णवाल  
02.01.2019

4. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं तथा झबरेडा विधान सभा क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं? क्या सरकार को इन आवासहीन परिवारों को आवास देने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री नवीन चन्द्र दुम्का  
03.01.2019

5. क्या वन मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ में जौलासाल, हंसपुर, रेखाल, बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता, सापकटानी, खस्सीभोज, चीड़खत्ता, तपस्या नाला, हाथगढ़ व तुणीखाल आदि खत्ते हैं? यदि हाँ, तो मंत्री जी यह बतायेगे कि वन विभाग के दस्तावेज में ये खत्ते किस वर्ष से बसाये गये है, तथा किस योजना के तहत बसाये गये है?

वन

श्री धन सिंह नेगी  
07.01.2019

6. क्या वन मंत्री अवगत है कि राज्य में इको पर्यटन की दृष्टि से कई स्थान उपयोगी है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से स्थान चिन्हित किये है? क्या यह भी सत्य है कि इको टूरिज्म से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? यदि हाँ, तो क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र टिहरी के चंबा, मसूरी, काणाताल, धनोल्टी, राणीचोरी व डंडाचली क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री करन माहरा  
07.01.2019

7. क्या आवास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आ रही परेशानियों को देखते हुए विधान सभा अध्यक्ष पीठ के निर्देशों के क्रम में सरकार ने क्या कदम उठाये है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री धन सिंह नेगी  
08.01.2019

8. क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रदेश के भारतीय वन सेवा के पदों का विभागीय ढांचा स्वीकृत है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के स्वीकृत ढांचे में मुख्यालय से जनपद स्तर पर रखे गये अधिकारियों का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि विभाग के मुख्यालय में एक से अधिक मुख्य वन संरक्षक के पदों का सृजन किया गया है? क्या सरकार इन पदों के सृजन का औचित्य बताएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

	तृतीय सोमवार के अतारांकित-02 में स्थानान्तरित।	
श्री करन माहरा 08.01.2019	9. क्या पुर्नगठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के बाद जिला पुर्नगठन आयोग की कोई बैठक हुई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	पुर्नगठन
श्री गणेश जोशी 08.01.2019	10. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में मॉल रोड़ की सुन्दरता को बनाये रखने के लिए एक वैंडर जोन का निर्माण कराया जाना उचित होगा? क्या सरकार मसूरी में वैंडर जोन बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री देशराज कर्णवाल 09.01.2019	11. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि बढ़ती आबादी तथा उद्योगों के प्रदूषण से प्रदेश का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? क्या सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने एवं वन क्षेत्र संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण
श्री महेन्द्र भट्ट 10.01.2019	12. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 पोखरी (चमोली) में पाँच व्यवसायों के संचालन की स्वीकृति दी गयी थी? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में पाँचों व्यवसायों का संचालन सुचारु रूप से चल रहा है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	प्रशिक्षण
श्री महेन्द्र भट्ट 10.01.2019	13. क्या वन मंत्री अवगत है कि जनपद चमोली के दशोली विकास खण्ड में ग्राम भटाकोटी पोस्ट बैरागना निवासी श्री केदारदत्त सेमवाल के नाप खेत में स्थित सुराई वृक्ष के पातन का आदेश उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा 14 मार्च 2017 को दिया गया है? यदि हां, तो उक्त वृक्ष के पातन की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं?	वन
श्री देशराज कर्णवाल 10.01.2019	14. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र झबरेडा के अन्तर्गत अभी तक ट्रचिंग ग्राउण्ड प्लांट का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 11.01.2019	15. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किन किन जनपदों की नदियों को पुनर्जीवित एवं सौन्दर्यीकरण की योजना बना रखी है? क्या उक्त परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की किन-किन नदियों को जोड़ा गया है? यदि हां, तो वे कौन कौन सी हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?	आवास
श्री देशराज कर्णवाल 14.01.2019	तृतीय सोमवार के अतारांकित 03 में स्थानान्तरित। 16. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सभी अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सरकार द्वारा रसोई गैस की सुविधा सुनिश्चित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यावरण

श्री विनोद कण्डारी 14.01.2019	17. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उन योजनाओं का नाम सहित सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में जंगली जानवरों द्वारा कुल कितना नुकसान किया गया है तथा उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या सरकार जंगली जानवरों से नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही रोक-थाम हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री गणेश जोशी 14.01.2019	18. शहरी विकास मंत्री अवगत है कि क्या मसूरी शहर में नगरपालिका के पास बसें नहीं होने के कारण साधारण जनमानस को आवागमन में असुविधा होती है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से बसे चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल 15.01.2019	19. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अर्न्तगत आवास मांग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कितने जनपदों में सर्वे पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री धन सिंह नेगी 15.1.2019	20. क्या आयुष मंत्री अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखण्ड राज्य में फार्मसिस्ट व डाक्टरों की नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक उक्त योजना में कितने आयुर्वेद डाक्टर व फार्मसिस्टो को नौकरियाँ दी गयी है? क्या सरकार एन0एच0एम0 में ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती अस्पतालों में आयुर्वेद डाक्टर व फार्मसिस्ट रखने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री देशराज कर्णवाल 16.1.2019	द्वितीय बुधवार के अतारांकित 13 में स्थानान्तरित। 21. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि शहरी क्षेत्र में टोस अपशिष्ट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है? क्या सरकार द्वारा किये गये उपायों से यह समस्या दूर हो सकती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण
श्री देशराज कर्णवाल 17.1.2019	22. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन टाइम सेटेलमेंट योजना लागू की गयी है? क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री सरेन्द्र सिंह नेगी 17.01.2019	23. क्या वन मंत्री बतायेगे कि पिटिशन न0 876/2017,878/2018,879/2018,880/2018,883/2017,885/2017,886/2017,889/2017 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 5.5.2017 को दिये आदेशानुसार कुमाऊ वन श्रमिक संघ, सेन्टर रानीखेत, को डियरनैस एलाउन्स (महंगाई भत्ता) बकाया राशि 10 हफ्ते के अन्दर 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे, भुगतान न करने की स्थिति में 18	वन

प्रतिशत ब्याज सहित जब तक भुगतान नहीं होता है अदा करेंगे? क्या सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त आदेशानुसार भुगतान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती ऋतु खण्डूडी  
भूषण  
17.01.2019

24. क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजी टाईगर रिजर्व सहित राज्य के अन्य जंगलों में रह रहे वन गुर्जरों के पुनर्वास के लिए क्या सरकार ने कोई समग्र पुनर्वास नीति बनाई है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इस प्रकार की समग्र पुनर्वास नीति कब तक तैयार कर ली जायेगी एवं इसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री देशराज कर्णवाल  
18.01.2019

तृतीय सोमवार के अतारांकित 35 में स्थानान्तरित।  
25. क्या प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु सरकार कोई नियमावली बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रशिक्षण

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
18.01.2019

26. क्या वन मंत्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा सार्वजनिक शमशान घाटों में शव अन्त्येष्टि के लिये लकड़ी टाल की व्यवस्था का प्राविधान है? यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड में कौन-कौन से स्थानों पर वर्तमान में यह व्यवस्था की गयी है? क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के शमशान घाट शिमली, धुनारघाट के समीप शिवालय, मैहलचौरी, माईथान में लकड़ी टाल खोलने की व्यवस्था करेगी? यदि हाँ तो कब तक?

वन

श्रीमती ऋतु खण्डूडी  
भूषण  
18.01.2019

27. क्या वन मंत्री अवगत है कि राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत आने वाले पटना गांव में प्राकृतिक जल प्रपात के कारण यहां पर्यटन की असीम संभावना होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास वन कानूनों के कारण नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो क्या राजाजी टाईगर रिजर्व प्रशासन द्वारा उक्त जल प्रपात के विकास, यहां तक पहुँचने के रास्तों का उन्नयन आदि के लिये कोई व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री देशराज कर्णवाल  
21.01.2019

28. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम रूड़की के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के मौहल्ला प्रेमनगर, में सीवर लाईनों का कार्य कितना हुआ है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो अवशेष क्षेत्र में कार्य कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर  
21.01.2019

29. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग वन विभाग की सीमा से सटा हुआ है और कई ग्राम पंचायतों के आवागमन का मार्ग वन विभाग क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरता है तथा मार्ग कच्चा व उबड़ खाबड़ होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी उत्पन्न होती है ? क्या ग्रामवासियों को परेशानी से निजात दिलाये जाने हेतु उक्त मार्गों का निर्माण किये जाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
23.01.2019

30. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार नौजवानों की जनपदवार संख्या क्या है? सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार विभिन्न जनपदों में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
23.01.2019

31. क्या वन पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण तथा टोस अपशिष्ट निवारण तथा प्रबन्धन की दिशा में सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किये जा रहे हैं? क्या सरकार बतायेगी कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टोस अपशिष्ट निवारण की समस्या विकराल रूप ले रही है? क्या सरकार टोस अपशिष्ट निवारण के लिए कोई कारगर योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
23.01.2019

32. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण जंगली जानवरों का गांवों की ओर भोजन एवं पेयजल के लिए आना या पलायन मुख्य कारण हो रहा है ? क्या सरकार वन्य जीवों का जंगलों में ही ठहराव के लिए कोई टोस व कारगर योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
23.01.2019

33. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए ऐसे बाल श्रमिकों के पहचान के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्य किया जाता है? यदि हां, तो राज्य में जनपदवार बाल श्रमिकों की संख्या क्या है? उनके पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम

- श्री देशराज कर्णवाल  
23.01.2019
34. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य के कितने जनपदों के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट परियोजना का संचालन किया जा रहा है? क्या इस योजना से अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
- शहरी विकास
- श्री हरभजन सिंह चीमा  
23.01.2019
35. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि काशीपुर शहर की लक्ष्मीपुर माईनर नहर जो शहर के बीचोंबीच होकर ढेला नदी में मिलती है के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में अतिवृष्टि के कारण शहर में भारी मात्रा में जलभराव हो जाता है और शहर के व्यापारियों को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों की हानि उठानी पड़ती है ? यदि हां तो क्या सरकार द्वारा इस नहर के पुनर्निर्माण हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है? यदि कार्य योजना बनाई गई है तो उसका स्वरूप क्या है और क्या आने वाली बरसात से पूर्व इस नहर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- शहरी विकास
- श्री देशराज कर्णवाल  
24.01.2019
36. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर निकायों तथा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन एवं उनके संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य का अपना अधिनियम तैयार किये जाने की सरकार की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
- शहरी विकास
- श्री देशराज कर्णवाल  
25.01.2019
37. क्या आयुष मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आयुष विभाग की नियमावली में आयुष चिकित्सकों को गृह जनपद में तैनाती न किये जाने की व्यवस्था है? क्या मंत्री जी अवगत है कि आयुष चिकित्सक को गृह जनपद में तैनाती दिये जाने से क्षेत्रीय बोली भाषा को समझने से मरीज को उचित उपचार मिल पायेगा क्योंकि आयुष चिकित्सक न तो प्रशासकीय कार्य करते हैं, और न ही वित्तीय लेन देन ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता के हित एवं उचित उपचार हेतु आयुष चिकित्सकों की नियमावली में संशोधन कर आयुष चिकित्सकों को उनके गृह जनपद में तैनाती दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
- आयुष

## नत्थी “ग”

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 13 फरवरी, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

13 फरवरी, 2019

विधायी कार्य-

1. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण (15 मिनट)
2. हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण (30 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।)



## नत्थी “घ”

### डननीड ररकडरर के अडडररषण के ललर धनडररड डुररररड डें संशुधन।

#### कं.सं. डुरररररक करर नरड

#### संशुधन करर रुर

डुररररड के अनू डें नलडुनललखलरड कुडु डलरर डररर:-

“कलनु खेद है कल शुरी ररकडररल ने अडने अडडररषण डें

नलडुनललखलरड करर कुडुई उल्लेख नररुई कलरर है :-

1. शुरीडती इनुडरर हृदरेश,
  2. शुरी डुरीतड सलंहर,
  3. शुरी डुडवलनुडु सलंहर कुंजवल,
  4. शुरी करन डररहर,
  5. शुरी हररीश सलंहर,
  6. शुरीडती डडडरर ररकेश,
  7. कररुी डुडु नलररडुदुदीन,
  8. हररुी डुररकन अहरडद,
  9. शुरी ररककुडरर,
  10. शुरी डनुओ ररररत तथर
  11. शुरी आदेश सलंहर कुुहरन।
1. डुरदेश डें रुरेकडरर कल सडुडररररररुुु कुु डडरने के ललर उतुतररखणुड ररकडरर कुु डुररुडनुड डुरदेश के रुरड डें वलकसलत कलरर कुुने डरने,
  2. सुवरकुकुतर अडडररन के सडुडरररुड डें कुुडुई सुडुररुड नुीतल करर नलरुधरररण कलरर कुुने डरने,
  3. डररलरररुुु कुु सुररकुशलत रुरड से डरररर, आधी ररत डें नलकलने डुरर उनुुें कुुडुई डडड न हुु इस संडंध डें कुुडुई नुीतल डुषलत कलरर कुुने डरने,
  4. रुरेकडरर के अवरसर डडरने के ललर कुुडुई सुडुररुड नुीतल डनरररुुु डरने डरने,
  5. वलकसलत ररकडररुुु कल शुरेणुी डें उतुतररखणुड कुु खडुडर करने के ललर अवरसुथरडनर वलकररस करर कुुडुई डरंकर डनरररुुु डरने,
  6. उतुतररखणुड कल ररकडररनल के संडंध डें कुुडुई ठेस कदड उठररुुु डरने तथर ररकडररनल सडर आधुनलकतड वडररसुथररुुु से डुकुत हुु इस संडंध डें कुुडुई सुडुररुड नुीतल डुषलत कलरर कुुने डरने,
  7. करर-धरड डरररर डुरे वरुष कले और डररररुुु सुररकुशलत हुुु तरकल हरडररल आरुथलकल डडुुु और शुरदुडररलुुु कुु सडुडुी तररु कल वडररसुथर डलले, कल कुुडुई सुडुररुड नुीतल डनरररुुु डरने,
  8. आडडरर के डुरेररन कुु कुुडुई कुुषुतर डररररुुु हुुु डे उनुुें डुरन: डसरने के संडंध डें कुुडुई सडड डुीडर नलरुधरररत कलरर कुुने डरने,
  9. आडडरर के डुरेररन कुु डररुुु खरलल हुु कुुके हुुु उनके डुरनवरररस के संडंध डें कुुडुई नुीतल डनरररुुु डरने,
  10. नदलररुुु कल सडुडररुुु, नदलररुुु के कलनररे सुुुनुडररुुुकरण तथर नदलररुुु के सडडसुत कुुषुतरुुु कुु डुररुडनुड के रुरड डें वलकसलत कलरर कुुने के संडंध डें कुुडुई नुीतल डनरररुुु डरने,
  11. कुु डल सुरुुुतुर सुुुख कुुके है उनकुुु रलकररुुु करने के ललर कुुडुई ठेस कदड उठररुुु डरने,
  12. डनरकररुुु कुु आवररसलड सुवलधर, सुररकुशर वडररसुथर उडलडुध करररुुु डरने के संडंध डें कुुडुई ठेस नुीतल डनरररुुु डरने,
  13. अडुल आडुडुडरन डुरेकडरर के तहत सडुुुुे डुरदेश वरसलररुुु कुु नल:शुलुकु सुवरसुथर सुवलधररुुु डुरदरन कलरर कुुने डरने,
  14. डुी0डुी0एल0 वरुग के लुुगुुु के ललर नल:शुलुकु एड0आर0आई0 तथर डररडललसलस कल सुवलधर उडलडुध करररुुु डरने,



15. शुद्ध पेयजल सभी को उपलब्ध हो सके इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने,
16. वर्ष 2018 में उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
17. हल्द्वानी में अंतर्राज्जीय बस अड्डे हेतु गौलापार में आवंटित भूमि में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अंतर्गत योग केन्द्र खोले जाने,
19. प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत अधूरी सड़कों को पूर्ण किये जाने,
20. विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी में पूर्व से स्वीकृत सड़कों निर्माण कार्य कराये जाने,
21. भवाली में वर्ष 2010 में स्वीकृत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने,
22. अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल एवं सीवर हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण किये जाने,
23. प्रदेश के गन्ना किसानों के ऋण भुगतान की समस्याओं का समाधान किये जाने तथा
24. प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किये जाने।”

2 श्रीमती ममता राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित स्वीकृत मेडिकल कालेज के भवन निर्माण किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में स्वीकृत तहसील के भवन का निर्माण हेतु धनावंटन कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति पर आधारित स्व० श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के भगवानपुर में स्वीकृत बस अड्डे के निर्माण के लिए धनावंटन कराये जाने
5. औद्योगिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने,
6. देवभूमि उत्तराखण्ड को शराब मुक्त किये जाने,
7. प्रदेश में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने,
8. गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने,
9. किसानों की कर्ज माफ किये जाने,
10. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन, निराश्रित विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए दिये जाने वाले अनुदान हेतु आय प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त किये जाने,
11. सम्पूर्ण प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
12. सम्पूर्ण प्रदेश में गुणवत्तापरक हैलमेटों पर नीति बनाये जाने,

13. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ट्रेनेज की व्यवस्था बनाये जाने,
14. औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कैमिकल युक्त दूषित पानी के निदान हेतु कोई नीति बनाये जाने,
15. भगवानपुर विधान सभा में स्थित सामु0स्वा0केन्द्र में डायलिसिस केन्द्र की स्थापना किये जाने,
16. विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर रायपुर, किशनपुर, सिकन्दरपुर, सिकरोढा, सिरचंदी, चौली शाहबुद्दीनपुर, मौला हल्लूमाजरा में नलकूपों के निर्माण हेतु एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूपों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
17. भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अलावलपुर गाँव में इण्टरकालेज खोले जाने,
18. भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के बहबलपुर गाँव में डिग्री कालेज की स्थापन किये जाने
19. भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी से जोड़े जाने,
20. भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने,
21. भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र को सीवर लाईन से जोड़े जाने,
22. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रुहालकी दयालपुर गाँव से इकबालपुर तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थायी रूप से नियुक्ति किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित नगर पंचायत भगवानपुर में कूड़ा उठान, डस्टविन एवं कूड़ा उठान वाहन एवं सर्वसुलभ शौचालय के लिए कोई ठोस योजना बनाये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में गोशाला खोले जाने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
28. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पार्को के सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के गुरु रविदास मन्दिर व भगवान बाल्मिकी मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना की धनराशि स्वीकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान की चाहरदीवारी तथा प्रत्येक श्मशान घाट में छतरी व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने,
32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला पॉलिटैक्निक खोले जाने,

33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में एक वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने,
36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों एवं किसानों का बिजली बिल माफ कराने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त समस्त पुलिया का पुनर्निर्माण बरसात से पहले अतिशीघ्र कराये जाने,
38. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनियाँ, डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
39. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने तथा वर्किंग वूमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
40. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में योग केन्द्र खोले जाने,
41. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत सड़कों का अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने,
42. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
43. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में खेल के मैदानों का निर्माण कराये जाने,
44. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं चारों ओर रैलिंग की व्यवस्था किये जाने,
45. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छापूर शेर अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने
46. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में पशु अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने,
47. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गाँवों में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेण्टर्स की स्थापना किये जाने,
48. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहनों की बसों में निःशुल्क यात्रा कराये जाने,
49. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआवजा प्रदान किये जाने,
50. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण किये जाने,
51. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाये जाने तथा

52. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी०एससी० के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने।”

3. श्री हरीश सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. धापा से साईंपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उम डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोरथी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जरथी, सेलमाली से एस०सी० बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घोड़ी मनकोट, चामी से मेतली कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पर्ती, सिरदांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोशा, उछेती, विरथी, पन्द्रपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,
3. बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,
4. इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू के भवन निर्माण किये जाने,
5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,
6. जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,
7. तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।
8. पं० नैन सिंह, बलाती साहसिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,
9. मुनस्यारी से खलियाटॉप रोपवे के निर्माण किया जाने,
10. ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,
11. ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,
12. आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,
13. दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,
14. धारचूला मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने, एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस०एस०बी० प्रशिक्षित गोरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,
15. पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किया जाने,

16. विधान सभा धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरुष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,
17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़ा जाने,
18. बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,
19. धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने,
20. तल्ला छारछूम से मल्ला छारछूम, चामी, लुंग्ती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नाचनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,
21. मुनस्यारी के खलियाटॉप में औली की तर्ज पर स्कीइंग को बढ़ाया देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,
22. दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,
23. वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,
24. लम्बित विद्युत परियोजनाए (एन0एच0पी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0टी0पी0सी0) को पूर्ण किये जाने,
25. धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एल्टीट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,
26. गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,
27. मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने तथा
28. नगर पालिका धारचूला में ग्वाल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने।”

#### 4. श्री राजकुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. यमुनाघाटी (पुरोला) में जिला बनाये जाने,
2. ओद्योगिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को दिये जाने,
3. देवभूमि उत्तराखण्ड को शराब मुक्त किये जाने,
4. उत्तराखण्ड में पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबन्ध लगाये जाने,
5. गन्ना किसानों से किये गये वादों को पूर्ण किये जाने,
6. उत्तराखण्ड के किसानों का कर्ज माफ किये जाने,
7. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
8. आपदा के दौरान जिन क्षेत्रों में क्षति हुई है उनको पुनः स्थापित किये जाने हेतु समय सीमा स्थापित किये जाने,

9. अटल आयुष्मान योजना के तहत समूचे प्रदेश वासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने,
10. अटल आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल से रेफर किये जाने की बाध्यता को समाप्त किये जाने,
11. विकास खण्ड डामटा में लो0नि0वि0 का अतिथि गृह का निर्माण किये जाने,
12. विकासखण्ड कफनोल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने,
13. नौगांव स्योरी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने,
14. धारी कलोगी में सहकारी समिति बैंक का गठन किये जाने,
15. नौगांव नगर पंचायत में पार्किंग व्यवस्था किये जाने,
16. विकासखण्ड नौगांव में शौचालय की व्यवस्था किये जाने,
17. गांव विकासखण्ड में नौगांव में स्योरी सड़क का निर्माण किये जाने,
18. नौगांव नगर पंचायत में कम्युनिटी हॉल खोले जाने,
19. नौगांव में लम्बित पड़ी मण्डी की शुरुआत किये जाने,
20. विकासखण्ड नौगांव के डामटा में लो0नि0वि0 गेस्ट हाउस की स्थापना किये जाने
21. यमुनाघाटी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किये जाने,
22. पुरोला में स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
23. पुरोला नगर पंचायत में कम्युनिटी हॉल खोले जाने,
24. पुरोला नगर पंचायत में पार्किंग बनाये जाने,
25. नौगांव विकासखण्ड में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
26. यमुना घाटी (पुरोला) में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने,
27. पुरोला विधान सभा में एक महिला विश्वविद्यालय खोले जाने,
28. पुरोला विधान सभा में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने,
29. पुरोला विधान सभा में पॉलिटेक्निक कालेज खोले जाने,
30. पुरोला विधान सभा में ग्राम सभा कोरना गांव को विस्थापित किये जाने,
31. नौगांव विकासखण्ड के ग्राम सभा कपनौला गांव के ग्रामीणों को विस्थापित किये जाने,
32. पुरोला विधान सभा के गड़ोली क्षेत्र में देहरादून से राजगढ़ी रोडवेज सेवा लगाये जाने,
33. पुरोला विधानसभा के विकासखण्ड मोरी के ग्राम मैजाणी से भटाबू मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
34. पुरोला विधानसभा के मोरी विकासखण्ड के साकरी में तालुका औसला तक मोटरमार्ग का निर्माण किये जाने,
35. पुरोला विधान सभा के पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने
36. पुरोला विधान सभा के अंतर्गत कार्य करने वाले हाईड्रो प्रोजेक्ट में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
37. पुरोला विधान सभा के अंतर्गत सेब का उत्पादन भारी मात्रा में होने लेकिन बरसात अत्यधिक होने के कारण सड़के टूटने के कारण कास्तकारों व सेब उत्पादकों का सेब सड़ने के दृष्टिगत फलों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किये जाने,
38. हिमाचल की भांति ही सेब का समर्थन मूल्य तय किये जाने,

39. पुरोला विधान सभा से सरकारी सेवा में नौकरी हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर फ्री कोचिंग सेंटर खोले जाने,
40. पुरोला विकास खण्ड के कामरा शाखल रोड़ की स्वीकृति किये जाने,
41. पुरोला विधान सभा के कन्ताड़ी से गोदूका मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
42. पुरोला विधान सभा के विकास खण्ड नौगांव के कन्सोला से दौनी मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
43. पुरोला के आई0टी0आई0 कालेज का भवन निर्माण किये जाने,
44. पुरोला अगोड़ा श्रीकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
45. पुरोला में राजकीय बालिका इंटर कालेज भवन का निर्माण किये जाने,
46. पुरोला में करणा से शिकारू मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
47. पुरोला विधान सभा के आरोकोट में मण्डी की स्थापना किये जाने,
48. पुरोला विधान सभा में ठडियार पुल का निर्माण किये जाने,
49. पुरोला विधान सभा के विकास खण्ड नौगांव के धारीकलोगी में सहकारी बैंक की स्थापना किये जाने,
50. पुरोला विधान सभा में विकास खण्ड नौगांव के कपनौल हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,
51. पुरोला विधान सभा में मोरी विकास खण्ड के खरसाड़ी गडू गाड इंटर कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
52. पुरोला विकास खण्ड मोरी के राजकीय इंटर कालेज मोरी के भवन निर्माण किये जाने,
53. पुरोला विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ राजकीय इंटर कालेज के भवन निर्माण किये जाने,
54. पुरोला विकास खण्ड मोरी के टिकोची राजकीय इंटर कालेज के भवन निर्माण किये जाने,
55. पुरोला नौगांव विकास खण्ड के राजकीय इंटर कालेज नौगांव के भवन निर्माण किये जाने,
56. पुरोला विकास खण्ड नौगांव के कन्या जूनियर हाईस्कूल मराड़ का उच्चीकरण किये जाने तथा
57. पुरोला विकास खण्ड नौगांव के राजकीय इंटर कालेज कण्डारी के भवन का निर्माण किये जाने।”

5. श्री आदेश सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र जसपुर की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किये जाने
2. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,
3. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
4. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी कार्यालय का निर्माण किये जाने,
5. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों का निर्माण किये जाने,

6. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटैक्निक कालेज का निर्माण किये जाने,
7. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में नदियों से होने वाले कटाव को रोकने के लिए तटबन्ध बनाये जाने,
8. जसपुर क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण किये जाने,
9. जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने,
10. जसपुर शहर में रोडवेज स्टेशन की स्थापना किये जाने,
11. जसपुर विधान सभा क्षेत्र में वहेड़ी पेयजल व गढ़ी नेगी पेयजल की क्षतिग्रस्त लाईनों को ठीक किये जाने,
12. जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने तथा
13. विधान सभा क्षेत्र जसपुर के ग्राम सीपका वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने।”

6. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड की स्थायी राजधानी गैरसैण को घोषित करने,
2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अलग से नीति बनाने व रियायत देने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाईल चिकित्सा वाहन के जरिए निश्चित तिथियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने,
4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने,
5. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने,
6. उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन व परिचय पत्र जारी करने,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय गुणों से परिपूर्ण मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने,
8. प्रदेश के चारधामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बजट में प्राविधान करने,
9. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों तथा पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने,
10. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों को एक समान अनुदान देने,
11. देश की सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालयों में बनाने एवं विद्यालयों एवं सड़कों के नाम उनकी स्मृति में रखने,



12. गेस्ट टीचरों को नियमित करने,
13. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री/भोजनमाताओं तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय बढ़ाने,
14. एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,
15. चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिये जाने,
16. टिहरी बाँध झील से प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने,
17. राज्य की क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण करने,
18. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि0ख0 थौलधार के नकोट-धमाडी में पेयजल योजना निर्माण कार्य करने,
19. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों जिनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है उनके पुनर्निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा मानकों में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने,
20. उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस रोजगार नीति बनाने,
21. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी उद्योगों की स्थापना करने,
22. राज्य के महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाने,
23. राज्य में स्वजल परियोजना को यथावत रखने,
24. राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन दिये जाने तथा नियमित करने,
25. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मुख्यालय थत्यूड़ (जौनपुर) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने,
26. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मुख्यालय थत्यूड़ (जौनपुर) तथा थौलधार में मिनी स्टेडियम बनाने,
27. विधान सभा धनोल्ती के धनोल्ती-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा व मसूरी खट्टा पानी को पर्यटन सर्किट घोषित करने,
28. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के थत्यूड़, नैनबाग तथा कण्डीसौड़, कमान्द में मिनी सब्जी मण्डियों की स्थापना करने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय कमान्द में भवन निर्माण करने तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं के पदों को भरने,
30. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवान, का भवन निर्माण करने,
31. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व फार्मैसिस्टों के रिक्त पदों को भरने,
32. सुआखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटरमार्ग के मध्य मोरियाणा अथवा क्यारदा -डडोली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने,
33. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के धनोल्ती से मोरियाणा तक मोटर मार्ग को वन विभाग से लोक निर्माण विभाग में परिवर्तन कर निर्माण करने,
34. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के भवान-गवाणा-डामणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 24 मी0 स्पान व 36 मी0 स्पान स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण करने,

35. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के विकासखण्ड जौनपुर में छनाणगांव के भीमलकी चलोटी में क्षतिग्रस्त 90 मी० पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
36. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के ग्राम सभा खट्ट से मोलखेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य करने,
37. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के साटागाड बैण्ड से फेडी किमोड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
38. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर में मसोन-काण्डी-द्वारगढ़ हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
39. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के सेल्वाणी राजखिल मंजगांव हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन (द्वितीय चरण) कार्य करने,
40. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत सुआखोली अलमस-भवान-नगुण मोटरमार्ग कुल लम्बाई 57 किमी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
41. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के भवान-साटागाड मोटर मार्ग का डामरीकरण (प्रथम चरण) कार्य करने,
42. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायणगांव, ल्वारखा धौलगिरी तक मोटर मार्ग का (द्वितीय चरण) निर्माण करने
43. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगिण्डा से घिना तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
44. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगलाड-थत्यूड मोटर मार्ग का सुदृढीकरण करने,
45. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
46. विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार के गैर से कौगी, कौगी से खाद तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) निर्माण करने,
47. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के विद्यालय बाण्डाचक-धुत्तु बैण्ड से डामणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) का करने,
48. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के घण्डियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
49. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के अन्तर्गत चम्बा-धरासू के अन्तर्गत कि.मी. 64 से सैनसारी-नवागांव-मंजाकोट मोटर मार्ग के अवशेष भाग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
50. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
51. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर कुमालडा, कददूखाल के कि.मी. 35 से सतैगल मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
52. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत सुवाखोली से क्यारा होते रायपुर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य करने,

53. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत वि.ख. थौलधार के लालूरी घियाकोटी क्यादा की चली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
54. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत वि.ख. थौलधार मैण्डखाल से गैर नगुण के मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,
55. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत मैण्डखाल से खाद,साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग एवं अलमस-भवन नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
56. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के कैम्पटी-थत्यूड़ मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य करने,
57. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के कैम्पटी-चडोगी हल्का वाहन का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य करने,
58. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के तौलियाकाटल के सौन्दणा ग्राम में सौंग नदी पर 62 मी. पुल निर्माण कार्य करने,
59. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के ग्राम फिडोगी के ग्राम बुरांस खण्डा से आलूचक के चलीधार, पत्थर खोल, जवाला, मानीधार होते हुए बन्दरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,
60. राजकीय महाविद्यालय कमान्द का भवन निर्माण करने,
61. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के दुधली से डिबोगी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य करने,
62. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार में बगियाल से जुखाड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,
63. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर में कैम्पटी फॉल के निकट मोटर पार्किंग हेतु मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,
64. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के अर्न्तगत घुघती ढुंगा धमाडी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य करने,
65. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण करने,
66. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के अर्न्तगत गोंठ में क्यारा से गोंठ झालकी होते हुए धनोल्ती तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
67. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के हटवाल गांव से आनन्द चौक तक पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
68. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के हटवाल गांव से बनाली तक पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
69. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के अगलाड नदी से काण्डी तक पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
70. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर टरु एवं खाद मे पंम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
71. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर में भवान,स्यालसी व गोरण हेतु पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
72. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर रा.इ.का. आनन्द चौक, मरोडा, रौतु की बेली, नकुरची, मथलाऊ, सडभ क्यारी, दौंक, वि.ख.

- थौलधार के गैर (नगुण), क्यारी नगुण, बाण्डा व वि.ख. चम्बा के बनानी में भवन निर्माण कार्य करने,
73. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. जौनपुर के रा.उ.मा.वि. सेलवाणी, कुमाल्डा, थान, नौघर, साटागाड़, भटोली, लैदूर, भालकीमाण्डे, भुटगावं, चामासारी, रणोगी तथा परोगी का भवन निर्माण करने,
74. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. जौनपुर के भवान, कैम्पटी, वि.ख. थौलधार के मैण्डखाल में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करने,
75. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. जौनपुर के कण्डालगांव, भटोली, काण्डाजाख, रगड़गांव, गोठ, शीर्ष व वि.ख. थौलधार के डडोली, नेरी, मंजकोट (नगुण) के पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य करने,
76. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. थौलधार के अन्य पिछडा वर्ग गंगाड़ी समुदाय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने,
77. प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाने,
78. विधानसभा क्षेत्र धनोली अध्यापक विहीन हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने,
79. विधानसभा क्षेत्र धनोली के धनोली-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा तक जाने हेतु सुदृढ़ ट्रेक मार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण करने,
80. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण करने,
81. विधानसभा क्षेत्र धनोली के चम्बा-जड़ी पानी, काणाताल धनोली को नवीन तकनीकी रूप से फल पट्टी विकसित करने,
82. विधानसभा क्षेत्र धनोली के कण्डीसौड़ (थौलधार) तथा थत्यूड़ (जौनपुर) में राजकीय पालिटैक्निक की स्थापना करने,
83. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. जौनपुर के अगलाड नदी तथा सौंग नदी (सकलाना क्षेत्र) के आस-पास बस्तियों एवं गांवों में बाढ़ सुरक्षा कार्य करने,
84. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. जौनपुर के भवान, थत्यूड़, पन्तवाड़ी व वि.ख. थौलधार के कमान्द में खेलों के प्रोत्साहन हेतु खेल मैदानों का निर्माण करने,
85. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वि.ख. थौलधार के कण्डीसौड़ में वि.ख. चिन्यालीसौड़, (उत्तरकाशी) के गांवों को जोड़ने हेतु भागीरथी नदी पर बने जलाशय के उपर झूला पुल का निर्माण करने,
86. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में निवासरत् लोगों के द्वारा हो रहे लगातार पलायन रोकने हेतु ठोस नीति बनाने,
87. चारधाम चात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने,
88. राज्य में औद्योगिकी को आर्थिकी व रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना व नीति बनाने,
89. राज्य के प्रत्येक हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति करने ,
90. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त अगलाड नदी पर बहे खेतों का पुनर्निर्माण करने तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गत सुरक्षात्मक कार्य करने,
91. राज्य में होम स्टे योजना में सरलीकरण करने,

92. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत विद्युत सुविधा से वंचित गावों/तोकों में विद्युतीकरण किये जाने,
93. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत म्याणी (जाखधार),रौतू की बेली, मोरियाणा, बनाली (चम्बा), में बी.एस.एन.एल. मोबाईल टावर स्थापित करने,
94. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत भवान-नगुण मोटर मार्ग में स्थित ग्राम रौतू की बेली के समीप स्थित बस्तियों में पेयजल योजना कार्य करने,
95. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के अर्न्तगत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम थत्यूड़,साटागाड (बान्सी), मूलगढ़, टिकरी (ढकरौल) सौठियालगांव, श्रीपुर (भरवाकाटल) तथा वि.ख. थौलधार के अर्न्तगत ल्वारखा (थौलधार), स्यांसू, खाण्ड,डोबन, क्यारी (गुसांई) में बारात घर निर्माण कार्य करने,
96. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के सत्यों (पुजारगांव) में राजकीय महाविद्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने,
97. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के मरोडा (सकलाना) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने,
98. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के नैनबाग तथा वि.ख. थौलधार के कण्डीसौड में तहसील के भवनों का निर्माण कार्य करने,
99. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगतम बंगियाल व गरखेत में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने,
100. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धनोल्ती, भवान तथा कमान्द, मैण्डखाल में पर्यटकों व क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु ए.टी. एम. सुविधा उपलब्ध कराने,
101. राज्य के महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने,
102. नये जिलों का सृजन किए जाने,
103. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडकोट,नौगांव,डुण्डा,चिन्यालीसौड,कण्डीसौड तथा थत्यूड़ में टेली मेडिसिन व टेली रेडियोलोजी की सुविधाएं प्रदान करने,
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ व कण्डीसौड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करने व इन चिकित्सालयों से अन्यत्र सम्बद्ध किये गये चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सकों को वापस करने,
105. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सत्यों सकलाना में एम्बुलेंस हेतु वाहन चालक का पद सृजित करने व जब तक पद सृजित न हो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था करने,
106. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत राज्य में तैनात संविदा कर्मियों को लायल्टी बोनस प्रदान करने,
107. आल वेदर रोड परियोजना में प्रभावित काश्तकारों की भूमि का एक समान प्रतिकर दिये जाने,
108. 31 जनवरी 2019 को राज्य कर्मचारियों द्वारा शान्तिपूर्ण न्यायोचित राज्यव्यापी हड़ताल की सूचना के बाद भी एक दिन का वेतन काटे जाने के अलोकतांत्रिक निर्णय को वापस लिये जाने,
109. हवाई पट्टी चिन्यालीसौड में नियमित हवाई उडान सुविधा प्रारम्भ करने तथा

110. टिहरी बांध परियोजना अन्तर्गत निर्मित जलाशय के समीपस्थ अवस्थित गांव की भूमि को लगातार हो रहे भू-स्खलन को रोकने के कारगर उपाय करने।”

7. काजी मौ० निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. बेरोजगार युवाओं को ₹3500/प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने,
2. किसानों का सम्पूर्ण ऋण माफ करने,
3. गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर गत वर्षों का रुका भुगतान 1 सप्ताह में करने,
4. चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सत्र में हर 15 दिन में गन्ना आपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने,
5. सिंचाई हेतु स्थापित समस्त नहर, रजबहे, नलकूप आदि को हर वर्ष मरम्मत करने,
6. ड्रिप सिंचाई स्थापित करने के लिए अनुदान 50% से बढ़ा कर 90% करने,
7. कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किये जाने,
8. राज्य की हर बालिका को जब तक वह पढ़ना चाहे पूर्ण रूप से उसकी पढ़ाई का व्यय सरकार वहन करे,
9. समस्त सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की मानको के अनुसार नियुक्ति करने,
10. समस्त सरकारी अस्पताल में ज़रूरी दवाओं की पूर्ति करने,
11. सभी पशु अस्पताल में ज़रूरी दवा की पूर्ति, डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ तैनाती,
12. विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि आंधी तूफान के समय विद्युत आपूर्ति बनी रहे,
13. राज्य की वित्तीय स्थिति को ठोस आधार पर सुदृढ़ करना, ताकि राज्य वित्तीय आधार पर आत्म निर्भर हो सके,
14. राज्य में उर्दू अकादमी स्थापित किये जाने,
15. राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को स्कूल और कालेजों में समय से छात्रवृत्ति देने,
16. गंगा की सहायक नदी सोलानी को साफ करने,
17. सभी नगर निकाय में कूड़ा निस्तारण मैदान होने,
18. सभी नगर निकाय में मानक और आबादी अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात करने,
19. आगामी कुम्भ मेले से पहले हरिद्वार जाने वाले समस्त मार्गों का चौड़ीकरण कर सुदृढ़ करना,
20. मंगलौर डिग्री कालेज में विज्ञान विषय शुरू करना और वहा शिक्षक की कमी दूर करने,
21. एन0एच0 58 पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकारी अस्पताल मंगलौर और नारसन में ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाने,
22. मंगलौर में नई पेयजल योजना को यथाशीघ्र पूर्ण कर चालू करने,
23. मंगलौर की नई बस्तियों और कालोनियों का विद्युतीकरण करने,

24. मंगलौर के सरकारी स्कूलों में आर0टी0ई0के मानकों के अनुसार शिक्षक तैनात करने तथा
25. उत्तराखण्ड राज्य को ट्रेफिक जाम से मुक्त करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाने और लागू करने।”

8. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. गैरसैण में राजधानी बनाने,
2. हरिप्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान गुरुणाबाज जो पूर्व कांग्रेस सरकार में स्वीकृत था, जिसमें तीन करोड़ रुपये खर्च भी हो गये हैं। उसे तत्काल शुरु करने हेतु बजट की व्यवस्था करने,
3. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के भांगादयोली में फड़का मोतियापाथर पम्पिंग योजना न होने,
4. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में पम्पिंग योजना पर भी कोई कार्य योजना न होने,
5. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के गैराड़ गुरुड़ाबांज पम्पिंग योजना पर भी कोई कार्य योजना न होने,
6. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने,
7. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के जैती बांजधार मल्ला विनौला से तल्ला विनौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने,
8. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के पूनागढ़- नाटाडोल मोटर मार्ग के दयाल बैड से तल्ला गांव तक मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने,
9. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के जाख से गणाऊ दाड़मी तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने,
10. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के दन्या डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने,
11. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के धनौली से नगरखान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण के बजट का कोई जिक्र न किये जाने तथा
12. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के सुवाखान, दोडम, चलनीछीना, छडोंज मोटर मार्ग के 14, 15 एवं 16 कि0मी0 (भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र) हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के बजट का कोई जिक्र न होने।”